राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1833/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
संतोष बजाज आर न- 312 चैतीना कुआं के पास], बीकानेर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव वित्त नियम अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री पवन कुमार बूबना, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 8-7-17 के द्वारा राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के नियम, छूट, गाइड लाइन आदि के सम्बन्ध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 25-9-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन प्रशासनिक सुधार विभाग से दिनांक 3-8-17 द्वारा बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अंतरित किया गया था। उक्त पत्र के सम्बन्ध में विभागीय पत्र दिनांक 21-8-17 से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 5 व 6 के सम्बन्ध में अवगत करवाया जा चुका है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को वही सूचना प्रदान कर सकता है जो उसके पास संधारित है। प्रत्यर्थी से किसी भी सूचना के व्याख्या किये जाने, शंका समाधान हेतु प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उपरोक्त पत्र दिनांक 21-8-17 को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील खारिज कर दी गई।

6. आयोग के नोटिस के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलोत्तर दिनांक 14-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं में विशिष्टियों का अभाव हैं, इसके अतिरिक्त पूर्व में भी अपीलार्थी द्वारा सूचना के आवेदन द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में अन्य 4 अपीलें संख्या 1831/18, 1832/18, 1834/18 एवं 1835/18 आयोग में प्रस्तुत की थी, जिनके

साथ भी हस्तगत अपील की भांति पोस्टल आर्डर नम्बर 35एफ 617484 की प्रति प्रस्तुत की गई थी जो कि दिनांक 12-4-18 को खारिज की जा चुकी है। हस्तगत अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ग्राह्य एवं पोषणीय नहीं है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त